



2026:AHC:1360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2876, वर्ष 2025

राजेश चौहान
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आर.बी. पाल, उमेश कुमार पाल
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सौ.एस.सी., -पुथौर भारती

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(a). परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा आराजी संख्या 533 (क्षेत्रफल 0.0730 हेक्टेयर) पर किए गए अवैध अतिक्रमण/निर्माण को हटाएँ; यह भूमि राजस्व अभिलेखों में खेल के मैदान के रूप में दर्ज है और ग्राम- सरवर नगर, परगना एवं तहसील- सैदपुर, जिला- गाजीपुर में स्थित है।"

(b). परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के उन अभ्यावेदनों पर निर्णय लें जो आराजी संख्या 533 (क्षेत्रफल 0.0730 हेक्टेयर) पर प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण/निर्माण के संबंध में हैं; यह भूमि राजस्व अभिलेखों में खेल के मैदान के रूप में दर्ज है और ग्राम- सरवर नगर, परगना एवं तहसील- सैदपुर, जिला- गाजीपुर में स्थित है; तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. दिनांक 25.9.2025 को, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-
"माननीय स्थायी वकील इस मामले में निम्नलिखित पहलुओं पर निर्देशप्राप्त करें:
- I. क्या तालाब/सार्वजनिक भूमि पर प्रथम दृष्टया कोई अतिक्रमण है?
 - II. क्या **UP** राजस्व संहिता के उचित प्रावधानों के तहत ऐसे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई है?
 - III. क्या उपर्युक्त कार्यवाही में अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया गया है?
 - IV. क्या अधिकारियों द्वारा, निजी प्रतिवादियों को नोटिस देने के बाद, उपलब्ध सर्वोत्तम मानचित्रण तकनीक के अनुसार अतिक्रमित भूमि का कोई सर्वेक्षण किया गया है?
 - V. कार्यवाही की स्थिति दर्शाने वाली आदेश-पत्र की प्रति।
- इस मामले को **25.11.2025** को नए मामलों की सूची में सूचीबद्ध किया जाए।"
4. दिनांक 25.9.2025 के आदेश तथा दिनांक 5.1.2026 के निर्देश के अनुपालन में, तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर द्वारा प्रेषित निर्देश का अभिलेख पर लिया जाता है।
5. शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे आज ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देशों की एक प्रति सौंप दें।
6. शासकीय अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर बताया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत, भूखंड संख्या 533 के संबंध में निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के विरुद्ध दो मामले (वाद संख्या T201814290400536 और T202514290411527) दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त कार्यवाही में अगली तारीख 9.1.2026 निर्धारित है, और इन कार्यवाहियों के निस्तारण के बाद, अधिकारी कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे।
7. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर, उचित निर्देश जारी किए जाएं।
8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
9. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के विरुद्ध दर्ज की गई है।
10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के



तहत उपर्युक्त कार्यवाही को, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार और शीघ्रता से, उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

6 जनवरी 2026

सी प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"